न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी- 6157/2018/सतना/स्टांप आधि

01.मनोहर लाल कापडी तनय स्व.नारायणदास कापडी निवासी कोठी मोड सिविल लाइन सतना म.प्र.

02.आनंद सिंह तनय श्री एल.बी.सिंह निवासी अहरीटोला सिविल लाइन सतना जिला सतना म.प्र...निगराकारगण

बनाम

शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना जिला सतना म.प्र...............गैरनिगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 56(4)स्टाम्प अधिनियम 1889 बिरूद्ध आदेश कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना के प्र.क.–111/बी103/17–18 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018

प्रस्तुत। प्रारंभिक ... दिनांक 2-11-18

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकारगण निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी हैः–

संक्षिप्त तथ्य

निगराकारगणो द्वारा लक्ष्मी गौतम वगैरह से आराजी कय किये जाने के संबंध मे सौदा किये जाने के उपरान्त मौजा मझगवॉ भट्ठा की आ.नं.13/5 रकवा 1.84ए. के संबंध में अनुबंध पत्र दिनांक 23.02.2013 को निष्पादित कराया गया था, जिसके संबंध में अनुबंधकर्ता द्वारा बिकय पत्र का निष्पादन समय सीमा एवं शर्तो के अधीन न कराये जाने पर निगराकारगणो द्वारा माननीय दीवानी न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद क.–66ए/17 प्रस्तुत किया गया जिसमें दीवानी न्यायालय द्वारा दस्तावेज को एम्पाउन्ड किये जाने के संबंध में आदेशित किया जाकर दस्तावेज गैरनिगराकार के समक्ष अग्रेशित किया गया। जिसमें गैरनिगराकार द्वारा निगराकारगणो को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदाय किये बिना तथा दीवानी न्यायालय से उभय पक्षो के मध्य समझौता हो जाने तथा दस्तावेज को न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किये जाने के संबंध में आदेशित किये जाने के बाबजूद भी मनमानी तौर पर दस्तावेज को धारा 40 स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत एम्पाउन्ड आदेश पारित किया जाकर गाइड लाइन एवं आराजी के रकवे के बिरूद्ध मूल्यांकित किया जाकर उतना ही अर्थदण्ड आरोपित करते हुए 2,20,000/– रूपये जरिए चालान जमा किये जाने का आदेश मनमानी रूप से दिनांक 27.08.2018 को पारित किया गया, जिससे परिवेदित होकर निगराकारगण यह निगरानी निम्न लिखित आधार पर प्रस्तुत कर बिनयी है।

निगरानी के आधार

01. यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पूर्णतः दस्तावेज की परिस्थितियां से भिन्न एवं दीवानी न्यायालय द्वारा दस्तावेज बिना एम्पाउन्ड के वापस किये जाने के

//2//

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6157/2018/सतना/स्टा.अ.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.05.2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव शर्मा उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया यह प्रकरण उन्हें वापस किए जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अनावेदक अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है। विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा यह प्रकरण आवेदक अधिवक्ता को वापस किए जाने के निर्देश दिए जाते हैं। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	